भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1134
बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 / 22 अग्रहायण , 1945 (शक) को उत्तरार्थ

नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड

1134 # **श्री बाबू राम निषाद** :

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके पंजीकृत कार्यालय का स्थान और उक्त सोसायटी के संचालन क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं क्या है ; और

(ग) इससे किसानों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): जी हां मान्यवर, सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) की स्थापना की है। एनसीओएल को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (NDDB), गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (GCMMF), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED), नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा संवर्धित किया गया है। एनसीओएल की प्रारंभिक चुकता पूंजी पांच प्रवर्तकों में से प्रत्येक द्वारा 20 करोड़ के योगदान के साथ रु. 100 करोड़ रुपये और अधिकृत शेयर पूंजी रु 500 करोड़ है। एनसीओएल की स्थापना जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रमाणीकरण, परीक्षण, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सुविधाओं, विपणन के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने और अपने सदस्य सहकारी समितियों के साथ पैक्स/एफपीओ के माध्यम से जैविक किसानों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने में सुविधा प्रदान करने के साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं और एजेंसियों की मदद से जैविक उत्पादों के प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के संवर्धन के लिए की गई है। एनसीओएल विभिन्न स्तरों पर सहकारी समितियों द्वारा जैविक उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रामाणिक और प्रमाणित जैविक उत्पादों के विपणन में मदद करेगी।

(ख): सोसायटी के संचालन का क्षेत्र पूरे भारत संघ तक विस्तारित होगा और व्यवसाय का मुख्य स्थान और सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय आनंद, गुजरात में स्थित है।

(ग): एनसीओएल जैविक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक छत्र संगठन के रूप में कार्य करके सहकारी क्षेत्र से जैविक उत्पादों पर जोर देगा। प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पाद प्रदान करके, यह घरेलू और साथ ही वैश्विक बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग और खपत क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। यह सोसायटी 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के माध्यम से एक केंद्रित तरीके से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न संबंधित योजनाओं और नीतियों के उपयोग के साथ-साथ किफायती लागत पर परीक्षण और प्रमाणन की सुविधा प्रदान करके बड़े पैमाने पर एकत्रीकरण, ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से जैविक उत्पादों की उच्च कीमत का लाभ प्राप्त करने में सहकारी समितियों और अंततः उनके सदस्य किसानों की भी मदद करेगी। इससे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार-से-समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी, जहां सोसायटी को सदस्यों को अपने जैविक सामानों की बेहतर कीमतों की प्राप्ति के साथ-साथ उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश से भी लाभ होगा।

इसके अलावा, किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए एनसीओएल, खंड 54 में दी गई योजना के तहत शुद्ध अधिशेष का 50% तक सदस्यों के बीच अंतिम मूल्य के रूप में वितरित करेगी: -

i. उत्पाद(उत्पादों) का प्रारंभिक अनंतिम मूल्य उत्पाद(उत्पादों) के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर अस्थायी रूप से सदस्य(सदस्यों) को दिया जा सकता है;
ii. ऐसे उत्पाद की बिक्री पर सोसायटी द्वारा किए गए सभी खर्चों में कटौती के बाद शुद्ध अधिशेष को बिक्री मूल्य और प्रारंभिक अनंतिम मूल्य के बीच अंतर के रूप में गिना जाएगा;
iii. सोसायटी अपने सदस्यों को उनके उत्पाद के लिए शुद्ध अधिशेष का 50% तक देने का प्रयास करेगी जो कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है और सदस्य ऐसे लाभों को सोर्सिंग किसानों को दे सकता है; और
iv. सदस्य(सदस्यों) को देय उत्पाद(उत्पादों) की अंतिम कीमत बोर्ड द्वारा प्रारंभिक अनंतिम कीमत और पूर्ववर्ती उप-खंड (iii) के तहत भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित शुद्ध अधिशेष के हिस्से के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

*****